भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0-टी0 ए0 मिस वाद सं0- 117A/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

1. सोनु बानसिंह 2. सुनील बानसिंह.............................आवेदक/विक्रेता

बनाम

सुकमती पुरती ....क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
20-02-2020		

विक्रेता :- 1.सोनु बानसिंह पिता स्व0 विरसिंह बानसिंह 2. सुनील बानसिंह पिता रांसी बानसिंह, ग्राम-नीलमोहनपुर, थाना- सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-हो।

क्रेता :- सुकमती पुरती पिता स्व0 गोरा पुरती, सा0-रुगडीसाई, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-हो।

विक्रेता द्वारा दिनांक 25.10.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता सुकमती पुरती पिता स्व0 गोरा पुरती, सा0-रुगडीसाई, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: **भूमि का विवरण** ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
साहेबगंज	सरायकेला/228	38	206	0.33ए0
			207	0.36ए0
			कुल-	**0.69एकड़**

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 95 दिनांक 27.01.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेताओं के दादाजी क्रमशः सोनु कोल एवं दुलू कोल एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने दादाजी एवं पिता के मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेताओं के पास रकवा-3.00एकड़ से अधिक भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहते है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति-'हो' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

लगातार.....................2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता 1. सोनु बानसिंह पिता स्व0 विरसिंह बानसिंह 2. सुनील बानसिंह पिता रांसी बानसिंह, ग्राम–नीलमोहनपुर, थाना– सरायकेला, जिला– सरायकेला– खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता सुकमती पुरती पिता स्व0 गोरा पुरती, सा0–रुगडीसाई, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–0.69एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

20/02/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।